(38)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1067–दो/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–04–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक–1/87–88/अपील

.....

मनीराम पुत्र गोकले
निवासी–ग्राम उपसिल, तहसील पोहरी
जिला–शिवपुरी म0प्र0

––––––आवेदक

विरूद्ध

1– परसा दी
2– लक्ष्मीनारायण पुत्र देवीलाल मृतक वैध वारिसानः–
   1. बृजमोहन
   2. जगदीश
   3. महेश
   4. हरज्ञान, पुत्रगण स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण
3– इमरती बेवा नकटू
4– गन्धर्व पुत्र नकटू
5– कल्लू पुत्र नकटू
6– मुन्नी पुत्र नकटू
निवासीगण–ग्राम उपसिल तहसील पोहरी
जिला– शिवपुरी, म0प्र0

––––––अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/11/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1/87–88/अपील में पारित आदेश दिनांक 26–04–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम उपसिल की प्रश्नाधीन भूमि क्रमांक 199 रकबा 4 विस्वा पर अपना पुराना कब्जा बताते हुये, उक्त भूमि पर मौरूसी कृषक मान्य करते हुये भूमिस्वामी के स्वत्व प्रदान किये जाने बावत् आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 110/190 के अंतर्गत दिनांक 05.06.86 को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया । इसी आवेदन–पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय में प्र0क्र0 2/85–86/अ–46 दर्ज हुआ, जिसमें दिनांक 12.01.87 को आदेश पारित किया जाकर आवेदन–पत्र स्वीकार किया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई, जो आदेश दिनांक 30.07.87 को अस्वीकार की गई । इसी आदेश के परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । न्यायालय अपर आयुक्त ने दिनांक 26.04.2005 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील स्वीकार किया । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.04.05 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत यह बताया है कि, आवेदक वर्ष 1967 से 86 तक लगातार कब्जा कर खसरा में दर्ज होकर काबिज था । उक्त आधार पर आवेदक द्वारा कब्जे के आधार पर संहिता की धारा 190–110 के तहत आवेदन तहसील पोहरी के समक्ष पेश किया गया । उक्त आवेदन पत्र पर प्रकरण में इश्तहार प्रकाशन विधिवत किया गया तथा समयावधि में किसी की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई एवं अनावेदकगण को सुनकर आवेदक का आवेदन–पत्र संहिता की धारा 190–110 के तहत मौरूषी कृषक के हक आहूत होने से धारा 110 के तहत नामांतरण आवेदक के हम में स्वीकार किया गया । उक्त आदेश में कोई अवैधानिकता इस प्रकार से नहीं है क्योंकि दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया है । उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई तो अपने आदेश

दिनांक 30.07.87 से अस्वीकार हो गई । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई । प्रकरण प्रचलित में ही अनावेदक क्र0 2 की मृत्यु हो गई । उसके वारिसों को अभिलेख पर लाने के लिये कोई कार्यवाही प्रकरण में नहीं की गई और आवेदक के विपरीत आदेश पारित किया गया । उन्होंने तर्क में यह भी बताया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के पूर्वजों के समय से कब्जा है । उसी आधार पर आवेदक के द्वारा तहसील पोहरी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन–पत्र पर से प्रकरण में साक्ष्य प्रति साक्ष्य ली गई और पटवारी के कथन लिपिबद्ध किये गये । उक्त कथनों में यह बात स्पष्ट देखने को प्राप्त हुई है कि गत समय कब्जा आवेदक मनीराम का पाया गया है । क्योंकि मनीराम का लम्बे अरसे से कब्जा चला आ रहा है । उक्त कब्जे के आधर पर विवादित भूमि का नामांतरण आवेदक के हित में स्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय का आदेश और न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश समवर्ती होने से उसे बदलने का क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये और अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने अपने पुराने कब्जे के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व संहिता की धारा 169 के प्रावधानों के अन्तर्गत चाहते हुये भूमिस्वामी के स्वत्व चाहे हैं जबकि अनावेदकगण के द्वारा आवेदक के पक्ष में किसी प्रकार का पट्टा दिना जाना स्वीकार नहीं किया है और भूमि पर अपना ही कब्जा होना बताया है। आवेदक ने पट्टा की अवधि प्रकट नहीं की है। तथाकथित पट्टे के ऐवज में अनावेदकगण को क्या प्रतिफल दिया जाना है या दिया गया है, स्पष्ट नहीं है। भूमि के पट्टे और आवेदक के कब्जे के संबंध में साक्षी छिंगाराम, तुलाराम, प्रहलाद के कथनों को देखा । उनका और अनावेदकगण के मध्य शान्ति भंग का मुकदमा चल रहा होना बताया है। पटवारी के द्वारा किये कथनों के अनुसार साक्षियों के द्वारा अवेदक का कब्जा मात्र पुरानी प्रविष्टि के आधार पर ही लिखा था। किसी भी साक्षी अथवा गवाहों ने लगान दिये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आवेदक ने अपने आवेदन में और न

अपने कथन व साक्ष्य में कहीं पट्टे की अवधि के बारे में कुछ बताया है । इस संबंध में दुर्गाप्रसाद विरूद्ध सौनऊराम 1987 रा0नि0 181, बंटीबाई विरूद्ध नारायण 1985 रा0नि0 47 उल्लेखित है, जिसमें यह न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि पट्टे में यह उल्लेखित होना चाहिये कि पट्टा कितनी अवधि के लिये दिया गया है, यदि ऐसी अवधि का उल्लेख न हो तब वह संव्यवहार पट्टे की परिभाषा में नहीं आता है। सुखराम विरूद्ध अब्दुल कादिर 1984 रा0नि0 284 और पीर खां विरूद्ध भूलीबाई 1966 रा0नि0 347 में यह न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि लगान अथवा प्रतिफल पट्टे की आवश्यक शर्त है। आवेदक ने प्रतिफल के रूप में केवल लगान अदा करना बताया गया है किन्तु उसने इसके साक्ष्य में लगान की कोई रसीद पेश नहीं की है। उसके द्वारा लगान की अदायगी के समर्थन में कोई स्पष्ट साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। उसके गवाहों ने लगान की अदायगी अपने सामने किये जाने की बात नहीं स्वीकारी है। इस तरह से इस मामले में प्रतिफल होना प्रमाणित नहीं है और न भविष्य में दिये जाने की बात ही गई है। यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक क्र0 3 और 5 व 6 अशक्त व्यक्ति होने के कारण उनके द्वारा दिये गये पट्टे के मामले में संहिता की धारा 169 के प्रावधान आक्रर्षित नहीं होते है। अनावेदक क्र0 3 विधवा है और अनावेदक क्र0 5 व 6 अवयस्क होने से पट्टा देने के लिये सक्षम है और उनके द्वारा पट्टा दिये जाने की स्थिति में पट्टाग्रहीता को भूमिस्वामी स्वत्व उत्पन्न नहीं होगें। ऐसे मामले में पट्टेदार के स्वत्व व दायित्व सीमित होकर संहिता की धारा 168(4) में वर्णित है और इस कारण पट्टाग्रहीता उससे अधिक प्राप्त करने करने की स्थिति में नहीं होगा। इस तरह से ये तीनों निशक्त पक्षाकर पट्टा देने के लिये सक्षम थे और पट्टाग्रहीता को मौरूषी कृषक के स्वत्व नहीं मिल सकते है। इस प्रकरण में अभिलेख के अध्ययन से यह भी पाया जाता है कि इस भूमि का मूल्य भी उसने अनोवदकगण को दिया है। इसका अर्थ यह होता है कि आवेदक ने इस भूमि को विक्रय मूल्य देकर अनावेदकगण से क्रय किया है। विक्रय मूल क्या तय हुआ और क्या अदा किया गया है, स्पष्ट नहीं है, जबकि प्रतिफल स्पष्टतः तय होना व अदा किया जाना आवश्यक है। इसी आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा अपने विस्तृत आदेश में तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दोषपूर्ण होने से निरस्त किया है और अनुविभागीय अधिकारी पौहरी के द्वारा पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर योग्य नहीं माना है। मैं अपर आयुक्त के इस निर्णय से सहमत हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2005 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,